# फर्द अहकाम

सीताराम बनाम हीरामल वगै.

न्यायालय सहायक कलक्टर (F-T-) शाहपुरा

संख्या 75/2016 धा.प्र.सं. 09 R 13 CPC

| क्रमांक | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 18-11-22 | वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी को धा.प्र.सं. 09 R 13 CPC पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने धा.प्र.सं. 09 R 13 CPC के संबंध में निवेदन किया कि दिनांक 19-12-12 को प्रकरण में प्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही कर फैसला बाद में प्रारंभिक डिक्री जारी की गई। प्रति.सं.-12, के अलावा और भी पक्षकार होते हैं। जिनमें कुछ पक्षकार गायब हो। जिनके सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना है। कुछ पक्षकार वसूलीलेख व लेनदार विवाद करते हैं। प्रकरण की सही प्रकार जानकारी पटवारी/सरपंच के मौखिक बयान से हुई। प्रकरण की नकल लेने व वकील से सलाह लेने दिनांक 2-6-2015 को प्रकरण की पूर्ण जानकारी हुई, प्रकरण में हुई डिक्री की अवधि को कंडोन कर अपील बाद दीवा V/S सीताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 19-12-12 को निरस्त कर प्रकरण में सम्मिलित बयान देंगे, अपील पेश करने की अनुमति दी जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। उपरांत बाद दीवा बनाम सीताराम वगै. में दिनांक 19-12-12 को एक पक्षीय प्रारंभिक डिक्री जारी की गई है। अप्रार्थियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः नामजद में प्रकरण में हुई डिक्री की अवधि को कंडोन कर बाद सं.-19/11 पू.सं. 83/2016 में जारी प्रारंभिक डिक्री निरस्त की जाती है। पत्रावली के सब कुमार होना गलत लेकर लोक फैसला बाद के समक्ष पेश हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.